बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत फसल की देखभाल

बीज प्रमाणीकरण के लिए फसल उगाते समय प्रत्येक किसान के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संस्था द्वारा बताई गयी कृषि कार्य संबंधी विभिन्न कार्यविधि जिसमें पृथक्करण दूरी, अवांछित पौधों का निकालना,संकर मक्का उत्पादन में मादा पंक्ति से पराग देने वाली नर मंजरी निकालना तथा संकर ज्वार एवं बाजरा की मादा पंक्ति से पराग देने वाले शीर्ष निकालना आदि सम्मिलित है,समय अनुसार अपनायें, जिससे उत्पादित बीज भारतीय न्यूनतम बीज मानकों के अनुरूप बन सके। इसके अलावा बीज प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित फसल में निम्नलिखित शर्ते पूरी होना आवश्यक है।

1 खेत में केवल एक ही फसल बोई गई हो,मिश्रित खेती एवं पेढी फसल मान्य नहीं होगी।

2 संकर किस्मों के बीज उत्पादन में नर एवं मादा की अलग–अलग पंक्तियां लगाई जाए तथा उनकी बोआई की संख्या नीचे दी गयी सारिणी के अनुसार रखी जावेंः–

फसल	न्यूनतम सीमांतता नर पंक्ति की संख्या	बोआई का अनुपात	
		मादा	नर
बजरा	8	4	2
मक्का एवं संकर जाति	4	4	2
अन्य संकर जाति	2	6	2
ज्वार	4	4	2

3 यदि कोई स्वपरागित या परागित बीज फसल एक तिहाई या उससे अधिक गिर जाती है जिसमें निरीक्षण के लिए विस्तृत गणना करना कठिन हो या असंभव हो तो फसल प्रमाणीकरण के योग्य नहीं मानी जाएगी। यदि उप/सहा. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी यह समझें कि पकने की स्थिति तक गिरी हुई फसल खड़ी हो सकती है तो खेत को तुरंत निरस्त नहीं किया जावेगा तथा अगले निरीक्षण में इसकी पुष्टि की जावेगी परंतु गेहूँ की वे किस्में जो लूजस्मट बीमारी से ग्रसित हो सकती हो, यदि फूल आने की अवस्था पर एक तिहाई से अधिक गिर गई हो तो फसल का प्रमाणीकरण

नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत पर–परागित बीज फसलों में और दो जनक वाली संकर जातियों के उत्पादन में यदि फूल आने की अवस्था में फसल या उससे पहले 1/3से अधिक फसल गिर जाए और गणना करना संभव न हो तो प्रमाणीकरण निरस्त किया जावेगा।

4 बीज फसल उगाने हेतु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित बीज उत्पादन की शस्य विधियों पर आधारित कृषि कार्यमाला आवश्यक है, जिससे बीज की गुणवत्ता का स्तर सुधारा जा सके। बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत ली गई फसल की कटाई, गहाई तथा बीज भण्डारण के दौरान संस्था के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है, किसी लॉट में मिश्रण होने अथवा सुरक्षित ढंग से न रखा होने की स्थिति में उसका प्रमाणीकरण संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त किया जावेगा।

5 बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार बीज गुणवत्ता, का स्तर बनाये रखने के लिए बीज उत्पादक द्वारा, भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको के अनुसार निर्धारित तकनीक अपनाना आवश्यक होगा।

6 मिश्रित खेती मान्य नहीं होगी। अंतवर्ती फसल उत्पादन कार्यक्रम हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के परिशिष्ट–। की शर्तो के अनुसार ही मान्य किया जा सकेगा।